mail

पत्रांक–1 / प्रा0आ0–0–3–19 / 2017.........49........ / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना–15, दिनांक– 14/7/17

विषयः वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष– 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 80– सामान्य, लघुशीर्ष–001– निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष– 0001– आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना विपत्र कोड–39–2245800010001 विस्तृत शीर्ष–05–पुरस्कार, विषय शीर्ष–01– पुरस्कार के अन्तर्गत ₹1,00,000/– (एक लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष– 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 80– सामान्य, लघुशीर्ष–001– निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष– 0001– आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना, विस्तृत शीर्ष–05–पुरस्कार, विषय शीर्ष–01– पुरस्कार के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्नप्रकार है :–
लघु शीर्ष–001– निदेशन तथा प्रशासन।
उपशीर्ष–0001– आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना।
मांग संख्या–39

क्र॰	विस्तृत शीर्ष / विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन (रुपये मे)	वर्त्तमान आवंटन (रुपये मे)	योग (रुपये मे)
1	2	3	4	5
1.	विस्तृत शीर्ष–05–पुरस्कार, विषय शीर्ष–01– पुरस्कार	1000.00 (एक हजार)	100000.00 (एक लाख)	101000.00 (एक लाख एक हजार)

4. यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–209 /आ0प्र0 दिनांक 12.07.17 के आलोक में आवंटित की जा रही है। आवंटित राशि से श्री राजेन्द्र सहनी को ₹50,000 (पचास हजार रूपये) एवं उनकी टीम के पाँच सहयोगी गोताखोरों को प्रति गोताखोर ₹10,000 (दस हजार रूपये) से पुरस्कृत करने हेतु व्यय किया जाय।

5. पटना जिला द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीध्र उपलब्ध कराया जाय।

6 यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक– 17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिर्टन फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

8. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.3.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

9. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक– 49 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 14/7/17

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– 49 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 14/7/17

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– 49 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 14/7/17

प्रतिलिपिः प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक – 49 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 14/7/17

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– 49 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 14/7/17

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव